

सं.

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
(एफएम प्रकोष्ठ), ए विंग, शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110001

संख्या

सेवा में,

.....
.....
.....

**विषय : एफएम रेडियो प्रसारण सेवा (चरण-11) को में प्रचालित करने
के लिए आशय-पत्र ("एलओआई")**

महोदय,

आपको सफल बोलीदाता घोषित करने और आपके द्वारा वित्तीय बोली की शेष 50 प्रतिशत राशि जमा करने के परिणामस्वरूप मुझे आपको में एफएम रेडियो प्रसारण सेवा चरण-11 स्थापित करने और प्रदान करने के लिए यह आशय-पत्र (संक्षेप में एलओआई) जारी करने का निदेश दिया गया है।

2. इस आशय-पत्र का प्रयोजन और उद्देश्य सफल बोलीदाता के रूप में आपको इस निविदा दस्तावेज में यथा-विनिर्दिष्ट अनुमति प्रदान करने वाले करार (संक्षेप में जीओपीए) को सम्पन्न करने के लिए नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर अपेक्षित पात्रता शर्तों का अनुपालन करने, फ्रीक्वेंसी आबंटन एसएसीएफए अनुमोदन, प्राप्त करने, वित्तीय जानकारी प्राप्त करने, जमीन/टावर पट्टा किराए, सामान्य प्रसारण अवसंरचना इत्यादि के लिए अपेक्षित राशि जमा करने और आरक्षित ओटीईएफ ("पीबीजी-11") की 10 प्रतिशत राशि के बराबर राशि के संबंध में भारत सरकार के पक्ष में अपरिवर्तनीय, बिना शर्त और निष्पादन की पुष्टि करने के लिए बैंक प्रतिभूति प्रस्तुत करने में सक्षम बनाना है।

3. आपका ध्यान निविदा दस्तावेज के खण्ड 2.10.6 की ओर आकर्षित किया जाता है जिसके अनुसार जीओपीए को निष्पादित करने की शर्तों का अनुपालन करने अथवा निर्धारित अवधि के भीतर जीओपीए को अन्यथा निष्पादित करने में आपके असफल रहने पर यह आशय-पत्र रद्द कर दिया जाएगा और आपके द्वारा जमा की गई राशि को बिना किसी और सूचना के जब्त कर लिया जाएगा।

4. कृपया इस आशय-पत्र को प्राप्त करने के संबंध में तत्काल पावती भेजें।

भवदीय,

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता,

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय